मध्यप्रदेश स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited

आज़ादी का अमृत महोत्सव

CIN : U74210MP1983SGC002298
GSTIN : 23AABCM0089R1Z5

(म.प्र. शासन का उपक्रम)
(A Govt. of M.P. Undertaking)

क्रमांक/MPSeDC/DeGS/2023 / 4927 | दिनांक: 14.09.2023

प्रति,

कलेक्टर एवं पदेन सचिव
जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी
जिला आगर मालवा, ग्वालियर, रीवा, शाजापुर

विषय: जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी के अंतर्गत सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक के रिक्त पदों पर पदस्थापना के सम्बन्ध में (भर्ती प्रक्रिया - जून 2023) |

विषयान्तर्गत जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी में सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 22.06.2023 से दिनांक 21.07.2023 तक ऑनलाइन पोर्टल https://services.mp.gov.in/eservice/ के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये गए है | प्राप्त आवेदन अनुसार प्रावधिक मेरिट सूची दिनांक 05/09/2023 को जारी की गई | अभ्यार्थीयों को प्रावधिक अर्हता सूची अनुसार दिनांक 06/09/2023 को पदस्थापना हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर आपके जिले के लिए अनुशंसित उम्मीदवार का विवरण (परिशिष्ट-1) पर संलग्न है |

तदनुसार सलंग्न सरणी में दर्शित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी नियमानुसार (परिशिष्ट-2) पर संलग्न कार्यवाही के निष्पादन हेतु सक्षम अधिकारी को निर्देशित किये जाने का अनुरोध है |

संलग्न: उपरोक्तानुसार

प्रबंध संचालक

क्रमांक: MPSeDC/DeGS/2023 / 4927-A | दिनांक: 14.09.2023

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रभारी/जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक, जिला .... को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रबंध संचालक

MPSEDC

परिशिष्ट - 1

सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का आवेदन क्रमांक	अभ्यर्थी का पता एवं मोबाइल नंबर	आवंटित जिला	वर्ग
1	Rahul	DEGS/2023/07/001437	village panchola tehsil sanwer Dist. Indore- 453551 prajapatirahul11223344@gmail.com 9111990369	AgarMalwa	OBC
2	Shreyansh Mittal	DEGS/2023/07/001427	B-1155 Anand Nagar, Gwalior- 474012 mittalsomu@gmail.com 6264522494	Gwalior	UR
3	Stuti Verma	DEGS/2023/07/001428	108 KATHERI MAIR TOLLA TEHSHEEL MANGAWA VELVA PAIKAN, Dist. Rewa- 486114 stutiverma48@gmail.com 7224970480	Rewa	OBC/F
4	Mayank Choksey	DEGS/2023/06/001414	shankar colony, shujalpur, Dist.- Shajapur- 465333 jiofi2018@gmail.com 8770638414	Shajapur	OBC

प्रबंध संचालक

परिशिष्ट-2

पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देश

1. सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक के पद पर भर्ती हेतु प्रकाशित नियमावली अनुसार उक्त अभ्यर्थियों को यह सूचित किया गया है कि वे संबंधित जिले की ई-गवर्नेंस सोसाइटी में अपनी अहर्ता के सम्बन्ध में मूल प्रमाण पत्र परिक्षण कराएँगे एवं उपयुक्त पाए जाने पर सम्बंधित जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा पदस्थापना आदेश जारी किया जावेगा एवं तदनुसार वे पदभार ग्रहण करेंगे ।

2. कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थियों को इस पत्र दिनांक के 30 दिवस के अन्दर सम्बंधित जिले की ई-गवर्नेंस सोसाइटी में उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।

3. जिला स्तर पर ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा अभ्यर्थी के प्रमाणपत्रों का सत्यापन एवं अभ्यर्थी की पदस्थापना सम्बन्धी कार्य निष्पादित किया जाना है । दस्तावेजों के सत्यापन जिले के ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा अधिकृत अधिकारी करेंगे । अभ्यर्थियो को निम्न दस्तावेजों का सत्यापन करना अनिवार्य है :-

   a) अभ्यर्थी के एप्लीकेशन फॉर्म की प्रति (फ़ोटो, एप्लीकेसन नंबर मिलान करने के लिए)
   b) हाई स्कूल परीक्षा (10वी कक्षा) की अंक सूची
   c) हायर सेकेंडरी परीक्षा (12वी कक्षा) की अंक सूची
   d) न्यूनतम अर्हता (निम्नानुसार) के शैक्षणिक प्रमाण पत्र (GATE)
   e) जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
   f) मूल निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
   h) मान्यता प्राप्त फोटो पहचान पत्र

उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने या दस्तावेज असत्य पाये जाने पर आवेदक की उम्मेदवारी अमान्य कर दी जावे ।

4. आवेदक के समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल प्रतियों से करने के उपरांत उनकी फोटो प्रतियों पर सत्यापनकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करके प्रमाणित किया जावे और उन्हें प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये पृथक-पृथक फाइल के रूप में ई-गवर्नेंस सोसाइटी के अभिलेख में स्थायी अभिलेख के रूप से संधारित किया जाए । विभिन्न पदों के लिये न्यूनतम अहर्ताओं का विवरण विज्ञापन जारी करते समय https://services.mp.gov.in/eservice/ पर प्रकाशित किया गया था |

5. दस्तावेज प्रमाणित पाये जाने की दशा में ही उक्त अभ्यर्थी के पदस्थापना आदेश जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा जारी किये जायेंगे । सत्यापनकर्ता अधिकारी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों का परिक्षण करके यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी के दस्तावेज, उक्त पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता की पूर्ती करते हैं ।

6. यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेजों के परिक्षण पर अनुपयुक्त पाया जाता है या निर्धारित अवधि तक दस्तावेजों के परीक्षण के लिये उपस्थित नहीं होता है तो उक्त रिक्त पद की सूचना मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSeDC) को तत्काल सूचित की जाए ।

7. अभ्यर्थी की पदस्थापना:- प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरांत नियमवाली में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप अभ्यर्थी को पदस्थापना आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही सम्बंधित जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा सम्पादित की जावेगी ।